

नागरिक – केन्द्रिक प्रशासन

सभी नागरिकों के सूचनार्थ

साधारण नागरिक वर्ग (पत्तन अथवा पत्तन के परिचालन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित प्रयोक्ता) को अधिसूचित किया जाता है कि एआरसी की 12 वीं रिपोर्ट में निहित निदेशों के अनुपालन में एक कोर कमिटी का गठन किया गया है ताकि कोलकाता गोदी प्रणाली पर नागरिक केन्द्रिक प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया जा सके।

- क) आंतरिक प्रक्रिया का सरलीकरण – प्रतिवेदन का पैरा 10.1.9
- ख) मॉनिटरिंग और मूल्यांकन – प्रतिवेदन का पैरा 10.4.4
- ग) उपभोक्ता संरक्षण – प्रतिवेदन का पैरा 8.3.3

जहाँ ऐसे प्रशासन को उन्नत किए जाने की आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए, सभी नागरिक, जैसा कि ऊपर वर्णित है, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव यदि कोई हों, निर्धारित प्रारूप के माध्यम से, केओपीटी के वेबसाइट (kolkataporttrust.gov.in) के यूआरएल के अंतर्गत क्लिक कर के डाउनलोड कर, प्रस्तुत कर सकते हैं। नागरिकों को इसके लिए कोई शुल्क अथवा प्रभार नहीं देना पड़ेगा तथा ऐसे सुझाव अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी में दिए जा सकते हैं।

यूआरएल यहाँ खुलेगा

आप अपने सुझाव श्री गौतम चक्रवर्ती, अधीक्षक जनरल और कमिटी के संयोजक को, 31 मार्च, 2010 तक सुभाष भवन (तृतीय तल), 40 सरकुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता- 700 043 पर या फ़ैक्स सं. 03324392647 पर अथवा ई-मेल trafficgen@gmail.com or gch@kopt.in में प्रेषित कर सकते हैं।

आप अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव संक्षेप में दें। इसमें कोलकाता गोदी प्रणाली से संबंधित क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाए। कमिटी का प्राथमिक उद्देश्य उन स्थानों में सेवा प्रदान करना है, जहाँ केवल पत्तन ही सेवा प्रदान करने का हकदार है। नागरिक अन्य एजेंसियों अथवा लोक निकायों से संबंधित सेवाओं पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। ऐसे सुझावों को संबद्ध प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

(ए.के.मुखोपाध्याय)
विशेष कार्याधिकारी
(ओ एंड डब्ल्यू)
कमिटी के प्रधान

सेवा में,
संयोजक

‘नागरिक केन्द्रिक प्रशासन’ की समीक्षा हेतु कोर कमिटी
कोलकाता गोदी प्रणाली
कोलकाता पत्तन न्यास

विषय: पत्तन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित प्रश्नावली

केओपीटी वेबसाइट पर आपके आमंत्रण की प्रतिक्रिया में, कार्यविधिक प्रशासन और/अथवा केओपीटी/कोलकाता गोदी प्रणाली द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में, मैं अपने सुझाव/शिकायत निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ।

- I. मेरा/हमारा नाम:
- II. मेरा आवासीय पता:
- III. मेरा/हमारा संगठन:
- IV. पता:
- V. पत्तन में मेरे/हमारे कार्य की प्रकृति:
- VI. मैं नियमित पत्तन प्रयोक्ता हूँ: (हाँ/नहीं):
- VII. एक अथवा एकाधिक संवर्गों के तहत सेवाओं के संदर्भ में मेरे सुझाव/शिकायत निम्नलिखित हैं (कृपया चिह्नित करें):

(क) सफाई व्यवस्था/अनुरक्षण (ख) नदी क्षेत्र (ग) पाइलॉटिज (घ) बर्थिंग/गैर-बर्थिंग (ङ) माल की लोडिंग/अनलोडिंग (च) यात्रियों का चढ़ना/उतरना (छ) उपकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं (ज) कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिचालन (झ) स्टेवेडरिंग (ञ) रेलवे परिचालन (ट) भूमि लाइसेंसिंग (ठ) सूखी गोदी सुविधाएं (ड) पत्तन प्रयोक्ता को भूमि का आबंटन (ढ) सुरक्षा व वस्था (ण) चिकित्सा सेवाएं

(viii) उपरोक्त में अगर कोई नहीं हो, तो कृपया अपने संवर्ग का विस्तार में वर्णन कीजिए।

.....
ix) मेरी शिकायत/सुझाव केवल पत्तन से संबद्ध हैं (हाँ/नहीं):

X) मेरी शिकायत/सुझाव अन्य संगठनों से भी संबद्ध हैं (हाँ/नहीं):

कृपया संगठन का नाम दें (कृपया नोट करें कि कमिटी उन शिकायतों को प्राथमिकता देगी जो पूरी तरह पत्तन से संबंधित हैं):

xi) प्रक्रिया से संबंधित शिकायत की सही प्रकृति

xii) पत्तन प्रशासन को मेरे सुझाव (यदि आवश्यक हो, पन्ना संलग्न करें)

(हस्ताक्षर)

तिथि:

कार्यालयीन पत्रों में कार्यालय की मुहर अवश्य होनी चाहिए (कृपया अपनी शिकायत/सुझाव के समर्थन में दस्तावेज निःसंकोच संलग्न करें) और निम्नलिखित को प्रेषित करें:-

श्री गौतम चक्रवर्ती, संयोजक

नागरिक केन्द्रिक प्रशासन हेतु कोर कमिटी

सुभाष भवन, 40 सरकुलर गार्डन रीच रोड, (तृतीय तल) कोलकाता - 700 043

फ़ैक्स 03324392647

जमा करने की अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2010

सेवा में,
 संयोजक
 'नागरिक केन्द्रिक प्रशासन' की समीक्षा हेतु कोर कमिटी
 कोलकाता गोदी प्रणाली
 कोलकाता पत्तन न्यास

विषय: पत्तन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित प्रश्नावली

केओपीटी वेबसाइट पर आपके आमंत्रण की प्रतिक्रिया में, कार्यविधिक प्रशासन और/अथवा केओपीटी(कोलकाता गोदी प्रणाली) द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में, मैं अपने सुझाव/शिकायत निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ।

- I. मेरा/हमारा नाम:
- II. मेरा आवासीय पता:
- III. मेरा/हमारा संगठन:
- IV. पता:
- V. पत्तन में मेरे/हमारे कार्य की प्रकृति:
- VI. मैं नियमित पत्तन प्रयोक्ता हूँ: (हाँ/नहीं):
- VII. एक अथवा एकाधिक संवर्गों के तहत सेवाओं के संदर्भ में मेरे सुझाव/शिकायत निम्नलिखित हैं (कृपया चिह्नित करें):

(क) सफाई व्यवस्था/अनुरक्षण (ख) नदी क्षे (ग) पाइलॉटेज (घ) बर्थिंग/गैर-बर्थिंग (ङ) माल की लोडिंग/अनलोडिंग (च) यात्रियों का चढ़ना/उतरना (छ) उपकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं (ज) कंटेनर फ्रेट स्टेशन परिचालन (झ) स्टेवेडरिंग (ञ) रेलवे परिचालन (ट) भूमि लाइसेंसिंग (ठ) सूखी गोदी सुविधाएं (ड) पत्तन प्रयोक्ताओं को भूमि का आबंटन (ढ) सुरक्षा व्यवस्था (ण) चिकित्सा सेवाएं

(viii) उपरोक्त में अगर कोई नहीं हो, तो कृपया अपने संवर्ग का विस्तार में वर्णन कीजिए।

-
- ix) मेरी शिकायत/सुझाव केवल पत्तन से संबद्ध हैं (हाँ/नहीं):
 - X) मेरी शिकायत/सुझाव अन्य संगठनों से भी संबद्ध हैं : कृपया संगठन का नाम दें (कृपया नोट करें कि कमिटी उन शिकायतों को प्राथमिकता देगी जो पूरी तरह पत्तन से संबंधित हैं):
 - xi) प्रक्रिया से संबंधित शिकायत की सही प्रकृति
 - xii) पत्तन प्रशासन को मेरे सुझाव (यदि आवश्यक हो, पन्ना संलग्न करें)

(हस्ताक्षर)

तिथि:

कार्यालयीन पत्रों में कार्यालय की मुहर अवश्य होनी चाहिए (कृपया अपनी शिकायत/सुझाव के समर्थन में दस्तावेज निःसंकोच संलग्न करें) और निम्नलिखित को प्रेषित करें:-

गौतम चक्रवर्ती, संयोजक
 नागरिक केन्द्रिक प्रशासन हेतु कोर कमिटी
 सुभाष भवन, 40 सरकुलर गार्डन रीच रोड, (तृतीय तल) कोलकाता - 700 043
 फ़ैक्स 03324392647
 जमा करने की अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2010

नागरिक केन्द्रिक प्रशासन

सभी नागरिकों के लिए स्थायी सूचना

द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति(एआरसी) की 12वीं रिपोर्ट में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु नवंबर,2009 में एक नागरिक-केन्द्रिक कोर कमिटी का गठन किया गया था:-

- (1) द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति की मुख्य सिफारिशें, जो पैराग्राफ 10.1.9, 10.4.4 तथा 8.3.3 (ख) के अनुसार एक या एकाधिक विनिर्दिष्ट कार्य-प्रणाली निकालने हेतु नागरिकों के चार्टर में चिह्नित अनुसार प्रयोक्ता निकायों/नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना (2) उपर्युक्त (1) के आधार पर नियमित रूप से मॉनिटर करने तथा मूल्यांकन के उपाय प्रस्तावित करना (3) उपभोक्ताओं के हितों को अधिकतर सुरक्षित करने हेतु सुस्पष्टता तथा पारस्परिक विचार विनिमय की वृद्धि के लिए उपायों तथा साधनों का सुझाव देना ।

भारत का कोई भी नागरिक जो इस पत्तन की सेवा का उपयोग करता हो या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्तन की सेवाओं द्वारा प्रभावित होता हो, समिति के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक के पास (अंग्रेजी या हिन्दी में) डाक, ई-मेल, फ़ैक्स द्वारा या हाथों हाथ प्रतिक्रिया भेजे, तो उसका स्वागत है।

- i) श्री असीम कुमार मुखोपाध्याय, सचिव(प्र) तथा समिति के प्रमुख, 15,स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-1
फ़ैक्स: 2230-4901 ई-मेल osd@kopt.in
- ii) श्री गौतम चक्रवर्ती, महाअधीक्षक, यातायात विभाग, समिति के संयोजक, सुभाष भवन, 40 सरकुलर गार्डन रीच रोड, (तृतीय तल) कोलकाता- 700 043
(फ़ैक्स 03324392647/ई-मेल gch@kopt.in)
- iii) कैप्टन राजेश रंजन श्रीवास्तव, उपनिदेशक, समुद्री विभाग-II, 15,स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-1
(फ़ैक्स: 2230-4901 ई-मेल rajesh@kopt.in)
- iv) श्रीमती पूर्वा मंडल, उप भूमि प्रबंधक 15 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-1 (फ़ैक्स : 2230-4901)

श्री गौतम चक्रवर्ती,
संयोजक
नागरिक-केन्द्रिक कोर कमिटी